HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15391/2026
CNR: RJHC020940782026 | URN: CRLMB / 28415U / 2026

Mohsin Umar Khatri S/o Shri Umar Khatri, Aged About 37 Years, R/o Ward No. 14, 116 Khatri House Jama Masjid Ke Samane, Gaushala Ke Peeche, Mandava Police Station Mandava District Jhunjhunu (Rajasthan) (At Present Accused Petitioner Confined In District Jail Karauli).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Wasim Akram, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Tapesh Agrawal, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

17/11/2026

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र 483 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत **पुलिस थाना–टोडाभीम, करौली** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट **संख्या–200/2025** अपराध अन्तर्गत **धारा** 61(2), 316(2), 338, 336(3), 340(2), 318(4) बी.एन.एस. में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त ने तर्क दिया कि निर्दोष है, उसे मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है, वह 12.08.2026 से अभिरक्षा में है, इसलिए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह जमानत आवेदन खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

दोनों पक्षों की बहस के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

Digitally signed by
ARUN KUMAR
MITTAL
Date: 2026.11.19
10:16:43 IST

वर्तमान मामले में अभियुक्त पर यह आरोप है कि उसने अन्य सह–अभियुक्त के साथ मिलकर परिवादी को विदेश भेजने की झूंठी प्रवंचना करते हुए 1,81,000/– रूपये प्राप्त कर लिये तथा कुछ दस्तावेजों की कूटरचना की। सह–अभियुक्त फारूख की जमानत अन्य समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार की जा चुकी है, जिससे वर्तमान प्रार्थी–अभियुक्त का मामला समान प्रकृति का है। अभियुक्त इस मामले में दिनांक 12.08.2026 से अभिरक्षा में है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थी–अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **मोहसिन उमर खत्री पुत्र उमर खत्री** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र तथा पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तो हस्तगत प्रकरण में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(UMA SHANKER VYAS),J

Crt_7/D-A/34/Mittal